

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत न० ११० मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 47 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- राजकुमारी देवी

पिता/पति का नाम- दौलतलाल गुप्ता

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- शुन्म

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- शुन्म

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शुन्म

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शुन्म

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- शुन्म
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- शुन्म

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शुन्म

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शुन्म

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शुन्म

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शुन्म

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शुन्म

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शुन्म

(iv) यदि निष्पादित है, तो शुन्म

(क) निष्पादन की तिथि- शुन्म

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शुन्म

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शुन्म

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शुन्म

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- शुन्म

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- शुन्म

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शुन्म

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- शुन्म

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- शुन्म
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुन्म
- (iii) अपराध संख्या शुन्म
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुन्म
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुन्म

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शुन्म

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- शुन्म
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शुन्म
- (iii) अपराध संख्या- शुन्म
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शुन्म
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शुन्म

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शुन्म

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शुन्म

(ii) शहरी भूमि- 4.25 डि० (मुल्य 23,37,500)

(iii) भवन- 500 वर्ग फीट में धतकार मकान

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 47000/- रु. मात्र (ii) बैंक बैलेन्स- 2000/- रु. मात्र
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट शुन्य

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शुन्य

(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन शुन्य

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण सोना - 40 ग्राम
(पूर्ण विवरण दें) किमत्त - 190,000/- रु.
चाँदी - 200 ग्राम
किमत्त - 11,340/- रु.

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ

(प्रमाण-पत्रों के साथ) शुन्य

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शुन्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें- साफर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- गुजपूरपुर

तिथि- 20/9/2022

राजकुमारी देवी

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेलथ टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।



**प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र**

मैं, राजकुमारी देवी प्रिया/पति खोटेलाल गुप्ता
उम्र 49 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद्/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 47
मोहल्ला पटेल नगर, पोस्ट रमछा, थाना मिहनापुरा, जिला मुजफ्फरपुर
बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद्/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के
वार्ड संख्या 47 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद्/*नगर
पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 47 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य
पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - चिरंजन कुमार 4/11/2022
नाम - चिरंजन कुमार 4/11/2022
पता - पुष्पिता मन्दिर कर्मल मुद्रापुरी

राजकुमारी देवी
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर 1/11/2022
नाम - 1/11/2022
पता - 21/11/2022

19/9/22

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 20/9/2022

Contents of the Affidavit/Deed
solemnly affirmed and declared
before me through Deponent/Executant
identified by Advocate

लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

MANOJ KUMAR KARAN
NOTARY MUZAFFARPUR, BIHAR